पत्र संख्या– 1697 /4(विद्युत)/2016/को0नि0/प्रा0नि0

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार उत्तर प्रदेश,
1018–जवाहर भवन, लखनऊ।

ई मेल

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनॉक: 30 अगस्त, 2016

महोदय,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सचिव श्री प्रवीन कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस उद्देश्य से सत्यापित किये गये थे कि श्री गुप्ता द्वारा अन्य पेंशन स्वीकृता अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित किये जायेंगे और वे उसी प्रकार मान्य होंगे जैसे वे हस्ताक्षर अन्य प्रक्रिया में माने जाते हैं। भविष्य में श्री गुप्ता के स्थान पर जो अधिकारी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करेगा उसके भी हस्ताक्षर श्री गुप्ता द्वारा ही सत्यापित किये जायेंगे और वह आने वाले नये पेंशन स्वीकृता अधिकारियों के हस्ताक्षर सत्यापित करते रहेंगे। यह प्रकिया निरन्तर चलती रहेगी। कहने का आशय यह है कि किसी पेंशन स्वीकृति अधिकारी के हस्ताक्षर को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नही है।

भवदीय,

/

(लोरिक यादव)
निदेशक।

<u>संख्या एवं दिनॉक उपर्युक्त।</u>

प्रतिलिपि– निदेशक (वित्त) उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट 14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30.08.16

(लोरिक यादव)
निदेशक।

उ0 प्र0 पा0 से0 इ0 ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ
डा0सं0..........
1. उपसचिव/अधिशासी ...
2. लेखाधिकारी
3. स0 लेखाधिकारी श्री..........
4. ...
5. लेखाकार श्री......
6. ...

म0ले0अ0 ले0अ0 सचिव (...)